<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>16/5/2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गोवा में अवैध जमीन कब्जाने के मामले में 36 लोगों के विरुद्ध धन शोधन के मामले में दिनांकः 12.04.2024 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मापुसा, गोवा के समक्ष एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की। माननीय विशेष न्यायालय ने 13.05.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने गोवा में अवैध जमीन कब्जाने के मामले में गोवा के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। इसके अलावा, गोवा में ऐसे सभी अवैध भूमि कब्जा मामलों की जाँच के लिए गोवा पुलिस द्वारा एक एसआईटी (भूमि कब्जा) का गठन किया गया है। जमीन हड़पने के ऐसे 41 मामलों की जाँच एसआईटी (लैंड ग्रैब) कर रही है।

ईडी की जाँच से पता चला कि आरोपी व्यक्ति अपने और अपने सहयोगियों के नाम पर जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के निर्माण में शामिल थे और अवैध रूप से कई संपत्तियां हासिल कीं और इनमें से कुछ संपत्तियों को बेच दिया और अपराध की आय अर्जित की।

इससे पहले, ईडी ने ऐसी 31 संपत्तियों को अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) दिनांकः 23.11.2023 के द्वारा कुर्क किया था, जिनकी अनुमानित कीमत रुपये 535 करोड़ है। इसके अलावा, जिन संपत्तियों के संबंध में कोई शिकायत/एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, उन्हें भी ईडी ने कुर्क किया है क्योंकि वे अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियां थीं।

राजकुमार मैथी और विक्रांत शेट्टी नाम के दो व्यक्तियों को ईडी ने जाँच के दौरान गोवा में अवैध भूमि कब्जाने में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया था और वर्तमान में वे न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।